यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय महानिरीक्षक (कारागार) उत्तराखंड देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय महानिरीक्षक (कारागार) उत्तराखंड देहरादून 05/2018 से 09/2020 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद्र पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16-10-2020 से 22-10-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. भाग-I परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शिवेंद्र मोरे लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.05.2018 से 07.05.2018 तक श्री प्रेम चंद्र वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी जिसमें 07/2015 से 04/2018 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	190.90	92.61	489.20	481.86	-	98.29	-	7.34
2018-19	-	-	144.88	128.71	386.70	383.97	-	16.17	-	2.73
2019-20	-	-	152.86	139.18	547.05	532.43	-	13.68	-	14.62

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

महानिरीक्षक (कारागार)
उप-महानिरीक्षक (कारागार)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
विधि अधिकारी
मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(i) **लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में महानिरीक्षक (कारागार) उत्तराखंड देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन महानिरीक्षक (कारागार) उत्तराखंड देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।अक्टूबर 2018 एवं जून 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गयातथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1- ₹ 19.25 करोड़ की धनराशि व्यय करने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।

जनपद ऊधमसिहँ नगर के सितारगंज में केन्द्रीय कारागार के निर्माण के लिए कुल ₹ 31.86 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कारगर के निर्माण को चरणबद्ध रूप से तीन चरणों में किया जाना था। उक्त जेल के निर्माण कार्यों में आधार/नींव और मिट्टी भरने के कार्य, (Foundation and earth filling work) चारदीवारी और बाड़ लगाने का कार्य, सर्वेक्षण/मिट्टी की जांच से संबन्धित कार्य के अलावा प्रथम चरणके अन्तर्गतबैरक, प्रशासनिक भवन, अस्पताल, चारदीवारी एवं आवासीय भवनो का निर्माण एवं अन्य संबन्धित कार्य भी किया जाना था। कार्य के सम्पादन हेतु शासन स्तर से इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लि. को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित/चयनित किया गया था। उक्त कार्य के निर्माण हेतु वर्ष 2004 से 2008 के मध्य कार्यदायी संस्था को ₹ 19.73 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी थी।

उपर्युक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था को ₹ 19.73 करोड़ की धनराशि निर्गत करने के उपरान्त भी उक्त निर्माण वर्तमान तक पूरा नहीं किया गया था।केवल आधार/नींव और मिट्टी भरने के कार्य (Foundation and earth filling work), चारदीवारी और बाड़ लगाने का कार्य, सर्वेक्षण/मिट्टी की जाँच का कार्य किया गया था। प्रथम चरण के अन्तर्गत बैरक, एकांतवास केंद्रीय रसोईघर आदि का भी निर्माण कार्य किया जाना था, जो अगस्त 2018 तक अपूर्ण दर्शाया गया था, जिसमें ₹ 19.25 करोड़ की धनराशि व्यय दर्शायी गयी थी। आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्यदायी संस्था को ₹ 19.73 करोड़ की निर्गत धनराशि में से ₹ 47.68 लाख की धनराशि विभाग को वापस कर दी गयी तथा कार्य लेखपरीक्षा तिथि तक अपूर्ण था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा भवनों का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

अतः अपूर्ण कार्य का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत SGHS अंशदान की कटौती वेतन से न किया जाना।

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 688/xxviii-4-2018-04-2008 टी.सी. दिनांक 14 सितम्बर 2018 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-(1) XXVVIII-3-2020-04/2008 टी.सी., दिनांक 04 मई 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेंशनर्स को SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्यकीय उपचार को प्रभावी बनायें हेतु निम्नलिखित दरों से प्रतिमाह वेतन से अंशदान लिया जायेगाः-

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 250/- प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व ₹ 100/- प्रति माह।
2. वेतन लेवल 6 के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 450/- प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व 200/- प्रतिमाह।
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 650/- प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व 300/- प्रतिमाह।
4. वेतन लेवल 12 के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 1000/- प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व ₹ 400/- प्रतिमाह।

विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण-वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के खातें में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जाये।

कार्यालय मुख्यालय, कारागार महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन से SGHS अंशदान की माह 05/2020 से माह 09/2020 (5 माह) तक कोई भी कटौती नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि कर्मचारियों का नाम सहित अपलोड कर लिया गया है एवं SGHS अशंदान कटौती शासनादेशानुसार कर ली जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत SGHS अशंदान की कटौती वेतन से न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग -दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणीप्रस्तर सं0
21/2015-16	-	**प्रस्तर 1-** परिहार्य व्यय ₹ 121.35 लाख	
	-	**प्रस्तर 2-** ₹ 407.40 लाक व्यय किये जाने के पश्चात निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा उद्देश्यों की पूर्ति न होना।	
01/2018-19	-	**प्रस्तर 1-** बिना कोटेशन के ₹ 1.55 लाख के कम्प्यूटर का क्रय किय जाना।	
	-	**प्रस्तर 2-** ₹ 58172.00 का अनियमित व्यय किय जाना।	
	-	**STAN 1-** कारागारों में क्षमता से अधिक बंदी रखा जाना।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(शून्य)

<u>भाग - V</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपसचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

   सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	डा.पी.वी.के.प्रसाद	महानिरीक्षक (कारागार)	19.12.2014 से 04.09.2020
2	श्री ए.पी. अंशुमान	महानिरीक्षक (कारागार)	05.09.2020 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय महानिरीक्षक (कारागार) उत्तराखंड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-III